

नम्बर व तारिख अहम
जो इस हुकम की तारीख
में जारी हुए

19-11-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण
में वकील प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
पुंव प्रकरण में पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर
वेक थियेक रास्ता उपलब्ध है। जिससे प्रार्थी पुंव विपक्षी
गण सहमत हैं। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा कोई
कार्यवाही नहीं चाहने से प्रा. यत्र अध्या. 251 ग. RTA
का खारिज किया जाता है पत्रावली वास्तव में यत्न
शुमार होकर नम्बर से कम है।

पक्षकारानु
सहमत
रास्ता व
डिपा जि
अन्ते कार्य
नहीं चाहते


A.P.

